

चेक लिस्ट क्र. 26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

संलग्न है।

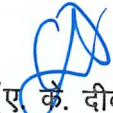
**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-1

(प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 i	अपेक्षित वन भूमि के प्रस्ताव / परियोजना/स्कीम विवरण	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र धरमजयगढ़ के कक्ष क्रमांक ग्राम गवारघुट्टी PF-355 रकबा 0.311 हेक्टे., PF-360 रकबा 0.213 हेक्टे., मिरिगुडा PF-354 रकबा 0.626 हेक्टे., परिक्षेत्र बोरो के कक्ष क्रमांक ग्राम नकना RF-641 रकबा 0.462 हेक्टे., और खम्हार RF-629 रकबा 0.486 हेक्टे. , परिक्षेत्र कापू के कक्ष क्रमांक ग्राम सोनपुर RF-80 रकबा 1.762 हेक्टे., और RF-35 रकबा 1.773 हेक्टे. कुल रकबा 5.633 हेक्टे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम धरमजयगढ़ में खसरा क्र. 1303/1क रकबा 0.434 हेक्टे. ,1303/1क/1 रकबा 0.650 हेक्टे. ,1310/1क/1 रकबा 0.344 हेक्टे.,1311/1क/1 रकबा 0.902 हेक्टे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 हेक्टे. , 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हेक्टे. , 209/1क रकबा 0.540 हेक्टे., कुल रकबा 4.832 हेक्टे. राजस्व वन भूमि, कुल रकबा 10.465 हेक्टे. वन/राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत कुल रकबा 10.465 हे. क्षेत्र में वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग प्रस्तुत है।
(ii)	1:50000 स्कैल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना लागत	रुपये 140.71 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य कोई वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध न होना।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	आवश्यकता नहीं।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना	लगभग 279900 मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र धरमजयगढ़ के कक्ष क्रमांक ग्राम गवारघुट्टी PF-355

		रकबा 0.311 हेक्टे., PF-360 रकबा 0.213 हेक्टे., मिरिगुडा PF-354 रकबा 0.626 हेक्टे., परिक्षेत्र बोरो के कक्ष क्रमांक ग्राम नकना RF-641 रकबा 0.462 हेक्टे., और खम्हार RF-629 रकबा 0.486 हेक्टे. , परिक्षेत्र कापू के कक्ष क्रमांक ग्राम सोनपुर RF-80 रकबा 1.762 हेक्टे., और RF-35 रकबा 1.773 हेक्टे. कुल रकबा 5.633 हेक्टे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम धरमजयगढ़ में खसरा क्र. 1303/1क रकबा 0.434 हेक्टे. , 1303/1क/1 रकबा 0.650 हेक्टे. , 1310/1क/1 रकबा 0.344 हेक्टे., 1311/1क/1 रकबा 0.902 हेक्टे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क्र. 558/1क रकबा 0.830 हेक्टे. , 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हेक्टे. , 209/1क रकबा 0.540 हेक्टे., कुल रकबा 4.832 हेक्टे. राजस्व वन भूमि, कुल रकबा 10.465 हेक्टे. वन/राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है।
3	परियोजना के कारण यदि लोगों को हटाने का विवरण यदि होतो	निरंक।
(i)	परिवारों की संख्या	निरंक।
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक।
(iii)	पुर्नवास योजना	निरंक।
4	क्या पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है। हाँ/नहीं	पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7(f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण का वचनबद्धता (वचनबद्ध संलग्न की जावे)	संलग्न है। पेज क्रमांक -
6	निर्देशों के अनुरूप संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है। पेज क्रमांक -


 (ए.के. दीवान)
 परियोजना प्रबंधक
 (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
 छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
 लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/Road/43587/2019

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र बोरो, कापू एवं धरमजयगढ़, जिला- रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)	10.465 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	धरमजयगढ़ वनमंडल - 10.465 हे. आरक्षित वनभूमि 3.997 हे. संरक्षित वनभूमि 1.636 हे. राजस्व वनभूमि 4.832 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 -0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिर्रा। वृक्ष गणना प्रतिवेदन गोलाईवार संलग्न है।
(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	नहीं।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित धरमजयगढ़ से कापू सड़क राजस्व भूमि के अलावा वनभूमि की विभिन्न कक्ष क्रमांक के भीतर गुजर के जा रहा है।

18

(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	उक्त धरमजयगढ़ से कापू सड़क चिह्नित किया गया है वह क्षेत्र लेमरु हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	हां न्यूनतम आवश्यकता जमीन मांग किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार।	धरमजयगढ़ से कापू सड़क में प्रभावित वनभूमि के बदले छाल नारंगी वनखण्ड कुधरीखार ख.नं.36/1 में 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा ख.नं. 69/1 में रकबा 6.538 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है जिस कारण वनेत्तर क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित	प्रस्तावित CA क्षेत्र वनभूमि में होने के कारण

	वनेत्तर / अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	20420373/-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित स्थल पर दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है तथा सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। तथा आवेदक संस्थान द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला – रायगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन – 768.571 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन – 286.872 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन – 657.976 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र – 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	8 प्रकरण रकबा 419.433 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	50.000 हेक्टेयर

(च)	वनेतर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर
(v)	वर्ष 2019 – 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	1917.627 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर।	निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	आम नागरिकों एवं अन्य सभी को आवागमन सुविधा हो इसको ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य की अनुशंसा निम्न शर्तों पर की जाती है :- 1. जहां मिट्टी क्षरण की संभवना है वहां संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा रिटेनिंग वाल (Retaininig Wall) बनाया जावे। 2. चूंकि उक्त सड़क लेमरू हाथी रिजर्व के अन्तर्गत आता है। वन्य हाथी एवं अन्य वन्य प्राणी द्वारा सड़क को पार करने में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़क का Embankment को संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बनाया जावे।

स्थान : धरमजयगढ़

दिनांक : 15/3/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखंड/ ग्राम	कक्ष क्र. / खसरा क्र.	आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल हे. में
क.	आरक्षित वन	नकना	641	0.462
		सोनपुर	80	1.762
		सोनपुर	35	1.773
ख.	संरक्षित वन	गवारघुट्टी	355	0.311
		खम्हार	629	0.486
		गवारघुट्टी	360	0.213
		मिरिगुडा	354	0.626
ग.	राजस्व वनभूमि	धरमजयगढ़	1303/1क	0.434
		धरमजयगढ़	1303/1क/1	0.65
		धरमजयगढ़	1310/1क/1	0.344
		धरमजयगढ़	1311/1क/1	0.902
		मिरिगुडा	558/1क	0.830
		मिरिगुडा	558/1क	
			560/1क	1.132
		मिरिगुडा	209/1क	0.54
		योग		10.465
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन	
		साइट क्वालिटी	III	
		घनत्व	0.4 – 0.5	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिर्रा ।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	माध्यम है ।		

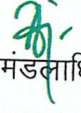
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	खनिज प्रकरण नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	उक्त धरमजयगढ़ से कापू सड़क लेमरु हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल : धरमजयगढ़ - कापू मार्ग
दिनांक : 09/03/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

धरमजयगढ़ वनमण्डल में आरक्षित वन रकबा 3.997 हे., संरक्षित वन रकबा 1.636 हे. राजस्व वन रकबा 4.832 हे. कुल 10.465 हे. की मांग कापू से धरमजयगढ़ मार्ग के उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए की गई है, जिसका स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित।

दिनांक- 27.06.2022

(राजेश कुमार चंदेले)भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर